10/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही हो। पैरोकार राज उपस्थित। प्रार्थी के द्वारा ग्राम डेह के खसरा नं० 70 रकबा 3.76 हैक्टेयर, खसरा नं० 94 रकबा 2.57 हैक्टेयर, कुल 6.33 हैक्टेयर भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक - 26/12/2013 को प्राप्त की।

अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 26/12/13 से लम्बे समय से चल रही है। जिसके निस्तारण हेतु बहस समायत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	पैरोकार राज नें अपनी बहस में जाहिर किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश लम्बे समय से जैरकार है जिसे निस्तारण किया जावे एवं अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त किया जावे। प्रार्थी वकील नें अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को निरन्तर जारी रखे जाने बाबत अपनी बहस में जाहिर किया। हमने वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत बहस में वर्णित तथ्यों का अध्ययन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तत्पश्चात हम इस ~~निष्कर्ष~~ निष्कर्ष पर पंहुचे है कि प्रार्थना पत्र निस्तारित करने के तीन सिद्धान्तों का विश्लेषण किया। ① प्रथम दृष्टया मामला : प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है ② सुविधा का सन्तुलन : सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है ③ अपूर्णीय क्षति का बिन्दु : अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है।	

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.एक्ट. सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश क्रमांक 1130 दिनांक 26/12/2013 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। प्रार्थना-पत्र पत्रावली फैसल शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/11/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर	